भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 5626
दिनांक 04.04.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

अवैध तरीकों से भारतीयों का आप्रवासन

5626. **श्री राजीव रायः**

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या बड़ी संख्या में भारतीय अवैध तरीकों से अनाधिकृत रूप से अन्य देशों में प्रवास कर गए हैं;
(ख) यदि हां, तो संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय देशों में अवैध रूप से रह रहे भारतीयों की संख्या का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने भारतीयों के ऐसे अवैध प्रवास के कारणों का पता लगाने और अवैध प्रवास को बढ़ावा देने वाली खामियों को दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाने हेतु कोई समिति गठित की है;
(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और क्या ऐसी समिति के गठन पर विचार किया जा रहा है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
[श्री कीर्तवर्धन सिंह]

(क) और **(ख)** संयुक्त राज्य अमेरिका सहित कई देश अवैध रूप से प्रवास करने वाले या उनके देशों में रहने वाले लोगों के बारे में जानकारी प्रदान नहीं करते हैं, सिवाय तब, जब उनके निर्वासन के आदेश दिए जा चुके हों और उनके यात्रा दस्तावेज/राष्ट्रीयता का सत्यापन आवश्यक हो। इस प्रकार, हमारे मिशनों और केंद्रों के पास अवैध रूप से प्रवास करने वाले या अन्य देशों में रहने वाले भारतीयों की संख्या संबंधी कोई विश्वसनीय आंकड़े नहीं है। विदेशी नागरिकों के निर्वासन के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया भी अलग-अलग देशों में अलग-अलग होती है। कुछ देश निर्वासित लोगों को गिरफ्तार नहीं करते हैं और निर्वासन होने तक उन्हें हिरासत/निर्वासन केंद्रों में रखते हैं। इसके अतिरिक्त, गिरफ्तारी/हिरासत और निर्वासन के बारे में जानकारी भारतीय मिशनों/केंद्रों के साथ साझा नहीं की जाती है और निर्वासित व्यक्ति के पास वैध यात्रा दस्तावेज होने पर मेजबान सरकार द्वारा निर्वासन सीधे कर दिया जाता है। भारतीय मिशनों/केंद्रों से मेजबान सरकारों द्वारा केवल ऐसे मामलों में संपर्क

किया जाता है जहां निर्वासित व्यक्ति को राष्ट्रीयता सत्यापन और आपातकालीन प्रमाणपत्र (ईसी) जारी करना आवश्यक होता है। चूंकि सभी देश अपने देशों में अवैध रूप से रहने वाले सभी भारतीयों का विवरण साझा नहीं करते हैं, अतः ऐसे भारतीयों की सही संख्या इस मंत्रालय के पास उपलब्ध नहीं है।

(ग) से (ङ) आज तक ऐसी कोई समिति गठित नहीं की गई है तथा सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव भी विचाराधीन नहीं है ।

*****